FAQs- Frequently Asked Questions & Answer Thereof

Q.1- पूर्व में योजना का पूर्ण राशि विक्रेता को भुगतान पंचायत के द्वारा चेक से कर दिया गया है | उस योजना का Taxation & Deduction का समायोजित पोर्टल पर कैसे करे |

Ans- (i) यदि विक्रेता को भुगतान के समय कर का कटौती किया गया है अर्थात बैंक में राशि जमा है तो पूर्व में कर दायित्व के रूप में लिये गए राशि से भुगतान कर समायोजन हेतु वाउचर तैयार किया जाय |

(ii) यदि कर की कटौती नहीं किया गया है तथा योजना में शेष राशि बची है तो उस कर का भुगतान कर वाउचर तैयार किया जाय |

(iii) जहाँ न तो कर की कटौती की गई हो और नहीं योजना में शेष राशि बची हो उस परिस्थिति में पूर्व में भुगता करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होनी चाहिए कर भुगतान की |

Q.2- NON SOR सामग्रियों का दर एवं सामग्री का प्रविष्टि कहा और कैसे होगा |

Ans- NON SOR सामग्रियों की प्रविष्टि मुख्यालय से होगी इसके लिये जिलो से Grievance पोर्टल के माध्यम से सामग्री की प्रविष्टि हेतु Grievance दर्ज किया जायेगा | सामग्री दर की प्रविष्टि जिला के द्वारा किया जायेगा |

Q.3- पूर्व में क्रियान्वित योजनाओं में प्राक्कलित राशि के बराबर पोर्टल पर योजना में राशि आवंटित कर दिया गया है, उस योजना में पूर्व में कुछ राशि का भुगतान विक्रेता को चेक के माध्यम से कर दिया गया है | उस योजना में पोर्टल के माध्यम से खर्च करने के बाद बची हुई शेष राशि को अन्य दुसरे योजना में खर्च करने के लिये वापस कैसे होगा |

Ans.- योजना पूर्ण की प्रविष्टि करने पर योजना की बची हुई राशि अन्य दुसरे योजना में खर्च करने के लिये वापस हो जाएगी |

Q.4- **ई पंचायत बिहार पोर्टल** के माध्यम से भुगतान किए जा रहे कर्मियों का वेतन से की गई कटौती की राशि को संबंधित विभाग को कैसे जमा किया जाएगा |

Ans.- Letter Advice के माध्यम से किया जायेगा|

Q.5- **ई – पंचायत बिहार पोर्टल** पर पहले से उप विकास आयुक्त –सह – मुख्या कार्यपालक पदाधिकारी सर द्वारा निर्धारित सामग्री दर की प्रविष्टि किया गया है | वर्तमान परिस्थिति में सामग्रियों का दर Revise किया गया है, और पोर्टल पर दर editable नहीं है | Revise दर को पोर्टल पर कैसे प्रविष्टि किया जाएगा |

Ans.- इसके लिए नया टेन्डर create कर सामग्रियों का Revise Rate का प्रविष्टि करना होगा |

Q.6- REAT पोर्टल पर पंजीकृत Digital Signature में Level- 1 और Level- 2 का मोबाईल नंबर अधतन कैसे करेंगे |

Ans.- ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर जिला स्तर पर ADMDST Login (DPRO) में मोबाईल नंबर अधतन करने का विकल्प दिया हुआ है

Q.7- ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर सामग्रियों का दर कैसे प्रविष्टि किया जाएगा|

Ans.- सामग्री का दर प्रविष्टि करने हेतु जिला प्रोग्रामर के Login में विकल्प दिया हुआ है|

Q.8- ई-पंचायत पोर्टल पर वित्तीय वर्ष वार और मद वार आवंटन कैसे अपलोड होता है |

Ans.- वित्तीय वर्ष वार और मद वार आवंटन विभाग के द्वारा अपलोड किया जाता है|

Q.9- षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद में चेक बंद होने के बाद षष्ठम के खाता में बचे हुए शेष राशि को पोर्टल पर कैसे अपलोड किया जाएगा

Ans.- संबंधित बैंक के द्वारा खाते में बची हुई शेष राशि को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है | अगर बैंक के द्वारा राशि अपलोड नहीं किया गया है तो पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित कर राशि अपलोड करा सकते है |

Q.10- वाउचर रिजेक्ट होने का क्या कारण है ?

Ans.- वाउचर रिजेक्ट होने का मुख्य कारण खाता का KYC नहीं होना एवं वाउचर बनाने के बाद खाता विवरणी में परिवर्तन करना |

Q.11- जिला परिषदों में employee का वेतन भुगतान कैसे किया जाएगा |

Ans.- जिला परिषद् में employee का वेतन भुगतान के लिए पोर्टल पर Salary Module का विकल्प दिया हुआ है जिससे वेतन का भुगतान किया जाएगा |

Q.12- ग्राम पंचायतों में बिजली बिल, टेलीफोन बिल एवं इन्टरनेट बिल का भुगतान कैसे किया जाएगा|

Ans.- ई-पंचायत पोर्टल पर Bill Payment Module का विकल्प दिया हुआ है | जिस मोडूल से बिजली बिल, टेलीफ़ोन बिल एवं इन्टरनेट बिल का भुगतान किया जाएगा |

Q.13- पेपर, रजिस्टर, पेन तथा कार्यालय में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री का भुगतान कैसे होगा ?

Ans.- Office expense Module का विकल्प पोर्टल पर दिया हुआ है जिससे पेपर, रजिस्टर, पेन तथा कार्यालय में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री का भुगतान किया जाएगा |

Q.14- क्या 15 लाख से अधिक राशि का भुगतान Tender के माध्यम से ई-पंचायत पोर्टल से किया जा सकता है ?

Ans.- ई-पंचायत पोर्टल पर योजना का पेमेंट के लिए दो मोडूल दिया हुआ है , 1. Departmental 2. Contractor जो योजना जिस मोडूल में पंजीकृत किया जाएगा उस मोडूल से पेमेंट किया जाएगा|

Q.15- किसी योजना का गलत Fund Allocation हो गया है तो सुधार किया जा सकता है ?

Ans.- पोर्टल पर Scheme Abondon का विकल्प दिया हुआ है जिससे Scheme Abondon करने पर Fund पोर्टल पर वापस हो जाएगा |

Q.16- बैंक में प्राप्त Interest की राशि ई-पंचायत पोर्टल पर कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

Ans.- पोर्टल पर Report Section में Bank Statement Report में जाकर Intrest की राशि प्राप्त कर सकते है |

Q.17- किस वित्तीय वर्ष में किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है इसकी जानकारी कैसे मिलेगी ?

Ans.- पोर्टल पर ऑपरेटर के आईडी में state fund grant का विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प में जाकर वित्तीय वर्ष वार एवं मद वार राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते है |

Q.18- ई-पंचायत पोर्टल पर कौन कौन सामग्री अपलोड है कैसे देख सकते है ?

Ans.- पोर्टल पर Report Section में Consolidated Item का लिस्ट है उसमे कौन कौन सामग्री अपलोड है देख सकते है |

Q.19- पोर्टल पर किस वित्तीय वर्ष में कितनी योजना ली गई है कैसे देख सकते है ?

Ans.- पोर्टल पर Report Section में Financial Year Wise Consolidated Scheme Report का विकल्प दिया हुआ है वहाँ पर वित्तीय वर्ष वार योजना की प्रविष्टी देख सकते है |

Q.20- कोई अपना आईडी का पासवर्ड भूल जाता है तो नया पासवर्ड कैसे प्राप्त किया जाएगा ?

Ans.- जिला प्रोग्रामर के स्तर पर User Profile Edit का विकल्प दिया गया है वह से User Profile Update एवं password Reset कर नया पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है|

Q.21- किसी पंचायत सचिव का स्थानांतरण दुसरे पंचायत में हो जाता है तो उसका DSC कैसे पंजीकृत किया जाएगा ?

Ans.- पंचायत सचिव का स्थानांतरण के संबंध में DSC De Register का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है पहले से पंजीकृत DSC को De Register कर नए DSC को पंजीकृत किया जाएगा |

Q.22- भूलवश वाउचर गलत बन गया हो और उसका भुगतान नहीं करना है तो उसे कैसे हटा सकते है?

Ans.- भूलवश वाउचर गलत बन गया हो और उसका भुगतान नहीं करना है तो गलत वाउचर को Cancel करने का ई-पंचायत पोर्टल पर विकल्प दिया हुआ है |

Q.23- किसी सामग्री का दर पोर्टल पर नहीं दर्ज है तो उसके लिए क्या करे ?

Ans.- SOR सामग्री है तो BCD का SOR दर एवं NON SOR सामग्री है तो जिला परिषद् में DDC सर की अध्यक्षता में गठित समिति से निर्धारित दर को जिला प्रोग्राम्मर के आईडी से दर का प्रविष्टी किया जाएगा |

Q.24- लेबर का भुगतान किया जाना है उसे कैसे जोड़ा जा सकता है ?

Ans.- लेबर के भुगतान के लिए सबसे पहले लेबर का विवरणी लेबर मोडूल में पंजीकृत करना होता है उसके बाद अभिकर्ता के खाते में भुगतान होगा|

Q.25- क्या लेबर का भुगतान किसी एक व्यक्ति के खाते में किया जा सकता है ?

Ans.- लेबर का भुगतान के लिए पोर्टल पर अभिकर्ता का मोडूल दिया हुआ है अभिकर्ता के माध्यम से ही लेबर का भुगता होगा |

Q.26- बिना GST वाले किसी वेंडर को भुगतान संम्भव है ?

Ans.- बिना GST वेंडर को भुगतान सम्भव नहीं है |

Q.27- क्या एक योजना का भुगतान 2 या 3 बार में Part wise किया जा सकता है ?

Ans.- हाँ किसी भी योजना का Part wise वाउचर का भुगतान किया जा सकता है |

Q.28- Reat पर वाउचर रिजेक्ट हो जाने के बाद दुबारा वाउचर बनाया जा सकता है ?

Ans.- हाँ वाउचर रिजेक्ट होने के बाद दुबारा वाउचर बनाया जा सकता है |

Q.29- वेंडर रिजेक्ट होने के बाद दुबारा पंजीकरण का विकल्प हो (सही विवरण के साथ)

Ans.- रिजेक्टेड वेंडर का विवरणी रिसेट करने का विकल्प राज्य स्तर पर Admin Login में दिया हुआ है इस विकल्प को जिला स्तर पर दिया जाएगा , वेंडर का विवरणी रिसेट करने के बाद वेंडर का सही विवरणी दुबारा पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा |

Q.30- वाउचर वेरीफाई करने के बाद वाउचर रिट पोर्टल पर नहीं जाता है और वाउचर रिजेक्ट हो जाता है |

Ans.- वेरीफाई वाउचर का रिट पोर्टल नहीं जाने का मुख्य कारण ई-पंचायत पोर्टल और रिट पोर्टल पर दोनों जगह खाता विवरणी में अंतर होना ई-पंचायत पोर्टल और रिट पोर्टल पर PFMS Agency Uniq Code एवं Account Details सही होना चाहिए ।

Q.31- DSC रिट पोर्टल पर पंजीकृत करने के बाद PFMS से रिजेक्ट हो जाता है कारण क्या है ?

Ans.- DSC रिजेक्ट होने का मुख्य कारण PFMS पोर्टल पर खाता विवरणी का पंजीकृत नहीं होना एवं खाता विवरणी गलत पंजीकृत होना |